APP-A
Crim-I

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – गागेडा

मिश्री पिता रहमान शाह मुसलमान
निवासी– कानियॉ

बनाम

महबूब पिता मिश्री मुसलमान वगैराह
निवासी– कानियॉ

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या– 374/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट गागेडा पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की अंतिम बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात 2032–2035 की जमाबन्दी में वादी के दादा रहमान शाह के नाम खातेदारी से दर्ज थी, खातेदार रहमान शाह की मृत्यु के पश्चात रहमान शाह के पुत्रों के नाम खोला जाना चाहिये था। लेकिन ऐसा नही कर प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 जो कि रहमान शाह के पौत्र है ने अपने नाम खिलवा लिया। खातेदार के जायन्दा पुत्र बालु, ईस्माईल, इबाहिम गिरी जीवित थे, जिसने से मिश्री की हाल ही में मृत्यु हो गई है । प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 इस गलत इन्द्राज के आधार पर वह वादग्रस्त आराजी को बैचान करने पर आमादा रहते है, जिन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आरजी को प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 के खाते से हटाई जाकर मृतक खातेदार रहमान शाह के पुत्रों के नाम 1/4, 1/4 हक हिस्से से दर्ज करवाई जावें। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजी 1977 से लगातार महबूब, श्यामा, रज्जाक, अलादीन के नाम दर्ज चली आ रही है जिसे 35 साल से अधिक का समय हो चूका है। प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 के द्वारा कोई अवैधानिक कार्यवाही मिलाभगती से नही की गई, क्योंकि नामान्तकरण संख्या– 74 दिनांक 21.09.1977 को प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 के नाम खुला उस समय वह नाबालिग अवस्था में थे, जो कोई कार्यवाही की गई वह वादीगण के पिता व उनके भाईयों ने मिलकर की है। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से दावा वादी खारिज फरमाया जावें।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

मैनें वकील उभयपक्ष को सूना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 मौजा रुद्रपुरा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 292 रकबा 19 बीघा 08 भूमि रहमान शाह वल्द शेर शाह सांई मुसलमान साकिन कानिया के नाम दर्ज रेकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 74 दिनांक 01.10.1977 विरासत से महबूब, श्यामा, रजाक, अलादीन पिता रहमान शाह का नाम दर्ज रेकार्ड आना प्रकट आया है। यहॉ वादीगण का कथन है कि खातेदार रहमान शाह के पुत्र मिश्री, बाबू, ईस्माईल, इब्राहिम जीवित होते हुये भी रहमान के पोत्रों ने मिलकर विरासत का नामान्तकरण आपने नाम खुलवा लिया। अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा नामान्तकरण संख्या–74 तथा ग्राम रुद्रपुरा की अन्य आराजीयात की जमान्बदी प्रस्तुत की गई।

चुॅकि यहॉ यह तो निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजीयात रहमान शाह के खातेदारी की थी, मृतक खातेदार रहमान के चार पुत्र क्रमशः मिश्री, बाबू, ईस्माईल, व ईब्राहिम है। और इसी अनुसार मृतक खातेदार रहमान की अन्य आराजीयात जमबान्दी सम्वत् 2068 से 2071 मौजा रुद्रपुरा के अनुसार आराजी नम्बर– 293, 294 किता 2 रकबा 61 बीघा 07 बिस्वा भूमि मिश्री, बाबू, ईस्माईल, ईब्राहिम पिता रहमान सांई मुसलमान साकिन कानियॉ के नाम दर्ज रिकार्ड थी। किन्तु मृतक खातेदार रहमान की वादग्रस्त आराजी नम्बर– 292 में रहमान की विरासत उनके पुत्रो के नाम नही खोल सीधे ही पोतो के नाम मृतक खातेदार रहमान को पिता बताकर खोल दी गई। जबकि मृतक खातेदार के चारों पुत्र जीवित थे, और आज भी तीन पुत्र जीवित है। ऐसी स्थिति में मृतक खातेदार की विरासत का नामान्तकरण संख्या– 74 दिनांक 01.10.1977 अपने आप में अवैध है, निष्प्रभावी है। ऐसे विधि विरुद्ध नामान्तकरण से वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 को कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 के नाम दर्ज होने से वह बैचान करने पर आमादा है। चुॅकि पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या– 01 से 04 की वलदियत रहमान शाह अंकित है। जबकि चारों खातेदारो के पिता का नाम अलग– अलग है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण किसी भी स्थित में आराजीयात का बैचान नही कर सकते है, उपरोक्त विवेचनानुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

"निर्णय"

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा रुद्रपुरा पटवार हल्का गागेडा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 292 रकबा 19

Scanned by CamScanner

बीघा 08 बिस्वा भूमि के हाल खातेदारों का नाम हटाया जाकर उक्त आराजी के लिए वादीगण व प्रतिवादी संख्या– 8 से 14 को 1/4, प्रतिवादी संख्या– 05 को 1/4, प्रतिवादी संख्या– 6 को 1/4, प्रतिवादी संख्या– 7 को 1/4 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 25.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट गागेडा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner